
## विकय बाद सूचना पत्र



Date: 14-Feb-23

बनाम:- (Borrower) 5430138/post/22



VISHRAM JI C/O KANA RAM

BADGAON AJMER KISHANGARH AJMER 009 - Ajmer Ajmer Rajasthan 305812

Borrower :- VISHRAM JI C/O KANA RAM BADGAON AJMER KISHANGARH AJMER 009 - Ajmer Ajmer Rajasthan 305812 Co-Borrower-1 : MONA JI C/O VISHRAM BARGAON PATAN AJMER PO PATAN 009 NEAR TEMPLE Ajmer Ajmer Rajasthan 305812 Co-Borrower- 2 : NIL

GTR - 1: RAMNIWAS JI C/O BHANWAR LAL

MANDIR KE PASS PEDI BHATA TIKAWADA PATAN 009 NEAR TEMPLE Ajmer Ajmer Rajasthan 305812

महादय,

51

- प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोटी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेपित किया जाता है:—–
- 1. यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- 2. यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5430138 दिनांक 13-Dec-19 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 50273 / रूपये की ऋण राशि अपने वाहन HERO HF

  DELUX DRK CCR जिसका पंजीकरण संख्या RJ42SF4202 है,,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके

  द्वारा 2727/- रूपये की 33 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
- 3. यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्देशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 6 मिहनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 5763 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर, कुल विस्तिय सुविधा 56036 /- रूपयें की हो गई है।
- 4. यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशुदा शर्तोनुसार समय पर अदायगी नही होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 5. यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तो की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नहीं हो जाती वाहन अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- 6. यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नही किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 29-Nov-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया। तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन HERO HF DELUX DRK CCR रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ42SF4202 इंजन नम्बर HA11ENK4J26434 एवं चेसिस नम्बर MBLHAW024K4J07536 को अनुबन्ध की शर्तोनुसार दिनांक 07-Jan-23 को 38000/- रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्मे कम्पनी की 11829/- रूपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोनुसार आपके विरूद्घ विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पडेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

7083-5363

## विक्य बाद सूचना पत्र



Date: 14-Feb-23

बनाम:- (Co-Borrower) 5430138/post/22



MONA II C/O VISHRAM

BARGAON PATAN AJMER PO PATAN 009 NEAR TEMPLE Ajmer Ajmer Raiasthan 305812

Borrower: VISHRAM JI C/O KANA RAM BADGAON AJMER KISHANGARH AJMER 009 - Ajmer Ajmer Rajasthan 305812 Co-Borrower-1: MONA JI C/O VISHRAM BARGAON PATAN AJMER PO PATAN 009 NEAR TEMPLE Ajmer Ajmer Rajasthan 305812 Co-Borrower- 2: NIL

RAMNIWAS JI C/O BHANWAR LAL GTR - 1:

MANDIR KE PASS PEDI BHATA TIKAWADA PATAN 009 NEAR TEMPLE Ajmer Ajmer Rajasthan 305812

- प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रजिस्टर्ड कार्यालय जी-1, जी-2 न्यू मार्केट खासा कोठी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेषित किया जाता है:---
- यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5430138 दिनांक 13-Dec-19 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 50273 / रूपये की ऋण राशि अपने वाहन HERO HF DELUX DRK CCR जिसका पंजीकरण संख्या RJ42SF4202 है,,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तीनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके द्वारा 2727/- रूपये की 33 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
- यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्देशिनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 6 महिनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपको ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 5763 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर, कूल वित्तिय सुविधा 56036 /- रूपयें की हो गई है
- यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोधिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशदा शर्तोनुसार समय पर अदायगी नही होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तो की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नही हो जाती वाहन अपने आधिपत्य मे रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिया। अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तोनुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह मे दिनांक 29-Nov-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया । तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेत् नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन HERO HF DELUX DRK CCR रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ42SF4202 इंजन नम्बर HA11ENK4J26434 एवं चेसिस नम्बर MBLHAW024K4J07536 को अनुबन्ध की शर्तोनुसार दिनांक 07-Jan-23 को 38000/- रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्मे कम्पनी की 11829 / – रूपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोनुसार आपके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पडेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी-1 एवं जी-2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)

7083-5364

52

## विकय बाद सूचना पत्र



Date: 14-Feb-23

बनाम:-- (GTR) 5430138/post/22

53

RAMNIWAS JI C/O BHANWAR LAL

MANDIR KE PASS PEDI BHATA TIKAWADA PATAN 009 NEAR TEMPLE Ajmer Ajmer Rajasthan 305812

Borrower :- VISHRAM JI C/O KANA RAM BADGAON AJMER KISHANGARH AJMER 009 - Ajmer Ajmer Rajasthan 305812 Co-Borrower-1 : MONA JI C/O VISHRAM BARGAON PATAN AJMER PO PATAN 009 NEAR TEMPLE Ajmer Ajmer Rajasthan 305812 Co-Borrower- 2 : NIL

GTR - 1: RAMNIWAS JI C/O BHANWAR LAL

MANDIR KE PASS PEDI BHATA TIKAWADA PATAN 009 NEAR TEMPLE Ajmer Ajmer Rajasthan 305812

महादय,

प्रार्थी एसके फाइनेंस लि. (पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) रिजस्टर्ड कार्यालय जी–1, जी–2 न्यू मार्केट खासा कोटी सर्किल जयपुर की ओर से आपको उक्त सूचना पत्र प्रेपित किया जाता है:—–

- 1. यह कि प्रार्थी एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है, जो कम्पनीज अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, जिसका कार्यक्षेत्र अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है।
- 2. यह कि आपके द्वारा ऋण अनुबन्ध संख्या 5430138 दिनांक 13-Dec-19 के तहत एसके फाइनेंस लि. से 50273 / रूपये की ऋण राशि अपने वाहन HERO HF

  DELUX DRK CCR जिसका पंजीकरण संख्या RJ42SF4202 है,,पर प्राप्त किया है। यह कि ऋण अनुबन्ध की सहमत नियम और शर्तोनुसार, उक्त ऋण की अदायगी आपके

  द्वारा 2727/- रूपये की 33 नियमित मासिक / स्ट्रक्चर्ड किश्तों में की जानी थी ।
- 3. यह कि आपके अनुरोध पर, माननीय आर.बी.आई के निर्देशनुसार, प्रार्थी कम्पनी के द्वारा आपकों 6 मिहनों की मोरेटोरियम सुविधा प्रदान की गयी थी। अतः आपकी ऋण राशि अदा करनें की समयाविध में वृद्धि हो गई थी। 5763 /- रूपयें की मोरेटोरियम कार्यकाल की ब्याज राशि को समायोजित कर, कुल विस्तिय सुविधा 56036 /- रूपयें की हो गई है।
- 4. यह कि आप द्वारा प्रश्नगत वाहन कम्पनी के यहाँ हाईपोथिकेटेड किया गया एवं प्रश्नगत वाहन पर प्रथम चार्ज कम्पनी का था। निष्पादित ऋण अनुबन्ध में स्पष्ट रूप से तय पाया गया था कि तयशुदा शर्तोनुसार समय पर अदायगी नहीं होने पर कम्पनी को प्रश्नगत वाहन अपने आधिपत्य में लेकर बेचान करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 5. यह कि आपने अनुबन्ध के जरिये सहमति दी थी कि फाईनेंस राशि की किश्तो की नियमित रूप से अदायगी की जावेगी एवं जब तक अनुबन्ध की शर्तोनुसार समस्त किश्ते अदा नहीं हो जाती वाहन अपने आधिपत्य में रखना एवं कम्पनी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण करवाना था।
- 6. यह कि आपने वित्तीय सुविधा पर वाहन प्राप्त करने के पश्चात किश्तों का नियमित भुगतान नही किया एवं किश्तों की अदायगी में चूक कारित कर अनुबन्ध की शर्तों को भंग कर दिए जाने पर कम्पनी द्वारा उक्त वाहन को निष्पादित ऋण अनुबन्ध की शर्तों नुसार/स्वेच्छा से / मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों की रूह में दिनांक 29-Nov-22 को अपने अधिपत्य में लिया गया । तथा उक्त अनुबंध में बकाया सम्पूर्ण राशि जमा कर वाहन प्राप्त करने हेतु नोटिस सूचना दी गयी परन्तु आप द्वारा उक्त सम्पूर्ण राशि जमा न कराने कम्पनी द्वारा प्रश्नगत वाहन HERO HF DELUX DRK CCR रिजस्ट्रेशन नम्बर RJ42SF4202 इंजन नम्बर HA11ENK4J26434 एवं चेसिस नम्बर MBLHAW024K4J07536 को अनुबन्ध की शर्तोंनुसार दिनांक 07-Jan-23 को 38000/— रूपये में बेचान कर बेचान से प्राप्त राशि को आपके खाते में समायोजित कर दिया गया, बेचान राशि को आपके खाते में समायोजित करने के पश्चात भी आपके जिम्मे कम्पनी की 11829/— रूपये की राशि बकाया निकलती है, जिसे कम्पनी आपसे प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है।

अतः विधिक नोटिस प्रेषित कर आपको सूचित किया जाता है कि आप नोटिस दिनांक से 15 दिवस के भीतर कम्पनी को अपने जिम्मे बकाया राशि की अदायगी कर रसीद प्राप्त कर लें अन्यथा कम्पनी द्वारा अनुबन्ध की शर्तोनुसार आपके विरूद्घ विधिक कार्यवाही करने के लिए विवश होना पडेगा जिसके समस्त परिणामों के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगें। अतः सूचित रहे।

,

भवदीय

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

एसके फाइनेंस लि.

(पूर्व नाम ऐस. के. फिनकोर्प लि.) (जी–1 एवं जी–2, न्यू मार्केट खासा, कोठी सर्किल जयपुर। 302001)